

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी - जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर - 26/2019

मोहर सिंह पुत्र रयोदान जाति जाट निवासी बास बिसना वार्ड नं. 10 भाटीवाड़
तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राज0

..... वादी

ब-ना-म

1. ईश्वर सिंह पुत्र सवाई सिंह
2. उम्मेद सिंह पुत्र सवाई सिंह
3. जसवन्त सिंह पुत्र सवाई सिंह
4. रूडसिंह पुत्र सवाई सिंह
5. रूप सिंह पुत्र सवाई सिंह
6. रामसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0
7. मन्जू कंवर पुत्री स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर
8. जयसिंह पुत्र स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर
9. नरपत सिंह पुत्र स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर
10. सरोज कंवर पुत्री स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर
11. आनन्द सिंह पुत्र स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर जाति राजपूत निवासी चौपासनी स्कूल के पास जोधपुर जिला जोधपुर, राज0
12. कमलेश कंवर पुत्री सुमेर सिंह पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ हाल आबाद टोडसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज0
13. रूप कंवर पुत्री स्व. सवाई सिंह पत्नी शक्ति सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद बरनेल गच्छीपुरा रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील परवतसर जिला नागौर, राज0
14. राजेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद ए 13 लाल मन्दिर के पास, चांद बिहारी कॉलोनी, खातीपुरा जयपुर राज0
15. बसुकंवर पुत्री स्व. सुमेर सिंह पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद गुमान्दा (धुमाण) तहसील रतनगढ़ जिला चूरू, राज0
16. विनोद कंवर पुत्री स्व. सुमेर सिंह पत्नी सम्पत सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद बड़ी खाटू तहसील जायल जिला नागौर, राज0
17. सुशील कंवर पुत्री स्व. सुमेर सिंह पत्नी दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद टोडसर तहसील सूजानगढ़ जिला चूरू, राज0
18. एक्सीस बैंक शाखा झोटवाड़ा, जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।



..... प्रतिवादीगण


 उपखण्ड अधिकारी
 खेतड़ी (राज0)

दावा- खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक 02-03-2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11-02-2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि खाता संख्या 450 खसरा नंबर 909, 1289, 1317, 2383/1162 कुल किता 4 कुल रकबा 4.16 है. भूमि में वादी का 1/2 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: राजस्व/2022/1389 दिनांक 17.02.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो निम्नानुसार हैं :-

वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार स्थिति

| खाता नंबर | जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टि | खसरा नंबर | खसरे का रकबा | किस्म भूमि |
|-----------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 450 | 1. ईश्वरसिंह पुत्र. सवाईसिंह हिस्सा-1/18 2. उम्मेदसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा-- 1/18 3. कमलेशकंवर पुत्री सुमेरसिंह हिस्सा-1/144 4. गेन्दकंवर पुत्री सवाईसिंह हिस्सा-1/18 5. जसवन्तसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा-1/18 6. मोहरसिंह पुत्र श्योदान हिस्सा-1/2 जाति जाट निवासी बास बिसना वार्ड नं. 10 भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज0 7. रूडसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा-1/18 8. रूपकंवर पुत्री सवाईसिंह हिस्सा-1/18 9. रूपसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा-1/18 10. राजेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा-1/36 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/36 (पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा झोटवाड़ा जयपुर 11. रामसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा-1/18 12. विनोदकंवर पुत्री सुमेरसिंह हिस्सा- 1/72 13. सुशिलकंवर पुत्री सुमेरसिंह हिस्सा- 1/144 जाति राजपूत सा.देह खातेदार | 1289 1317 2383/1162 909 | 2.40 1.59 0.07 0.10 | बा.2 बा.3 बा.2 बा.2 |
| | कुल खसरा | 4 | 4.16 | |

उपस्थित अधिकारी
कॉपी (संख्या)

| निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार खाता विभाजन की स्थिति- | | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
| खाता नंबर | जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टि | खसरा नंबर | खसरे का रकबा | किस्म भूमि |
| 450 | मोहरसिंह पुत्र श्योदान हिस्सा-1/2 जाति जाट निवासी बास बिसना वार्ड नं. 10 भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज0 | 1289/1 2383/1162/1 909 | 1.95 0.05 0.07 | बा.2 बा.2 बा.2 |
| | किता | 3 | 2.08 | |
| | 1. राजेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा-1/36 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/36 (पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा झोटवाड़ा जयपुर ईश्वरसिंह, उम्मेदसिंह, गेन्दकंवर, जसवन्तसिंह, रूडसिंह, रूपकंवर, रूपसिंह, रामसिंह पि0 सवाईसिंह हिस्सा-8/9, कपलेशकंवर हिस्सा-1/72, दुविनोदकंवर हिस्सा-1/36, सुशिलकंवर पुत्री सुमेरसिंह हिस्सा-1/72 जाति राजपूत सा.देह खातेदार | 1317 1289/2 2383/1162/2 909/2 | 1.59 0.45 0.01 0.03 | बा.3 बा.2 बा.2 बा.2 |
| | किता | 4 | 2.08 | |

उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 (प्रदर्श-अ-1 लगा. 3 व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 (प्रदर्श-अ-1 लगा. 3 व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 (प्रदर्श-अ-1 लगा. 3 व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 (प्रदर्श-अ-1 लगा. 3 व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-ब के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02-03-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)


पीठासीन अधिकारी - जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मोहर सिंह पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी बास बिसना वार्ड नं. 10 भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राज0

ब-ना-म

1. ईश्वर सिंह पुत्र सवाई सिंह
2. उम्मेद सिंह पुत्र सवाई सिंह
3. जसवन्त सिंह पुत्र सवाई सिंह
4. रुड़सिंह पुत्र सवाई सिंह
5. रूप सिंह पुत्र सवाई सिंह
6. रामसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0
7. मन्जू कंवर पुत्री स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर
8. जयसिंह पुत्र स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर
9. नरपत सिंह पुत्र स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर
10. सरोज कंवर पुत्री स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर
11. आनन्द सिंह पुत्र स्व. सुजान सिंह नवीरा गेन्द कंवर जाति राजपूत निवासी चौपासनी स्कूल के पास जोधपुर जिला जोधपुर, राज0
12. कमलेश कंवर पुत्री सुमेर सिंह पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ हाल आबाद टोडसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज0
13. रूप कंवर पुत्री स्व. सवाई सिंह पत्नी शक्ति सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद बरनेल गच्छीपुरा रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील परवतसर जिला नागौर, राज0
14. राजेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद ए 13 लाल मन्दिर के पास, चांद बिहारी कॉलोनी, खातीपुरा जयपुर राज0
15. बसुकंवर पुत्री स्व. सुमेर सिंह पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद गुमान्दा (धुमाण) तहसील रतनगढ़ जिला चूरू, राज0
16. विनोद कंवर पुत्री स्व. सुमेर सिंह पत्नी सम्पत सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद बड़ी खाटू तहसील जायल जिला नागौर, राज0
17. सुशील कंवर पुत्री स्व. सुमेर सिंह पत्नी दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आबाद टोडसर तहसील सूजानगढ़ जिला चूरू, राज0
18. एक्सीस बैंक शाखा झोटवाड़ा, जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी


उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (राज.)

दावा बाबत खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :- 26/2019


निर्णय दिनांक :- 02-03-2022

वादी की ओर से श्री हेमराज सिंह एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री हवासिंह बबेरवाल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-03-2022 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

“अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 (प्रदर्श-‘अ-1 लगा. 3’ व ‘ब’) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 (प्रदर्श-‘अ-1 लगा. 3’ व ‘ब’) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (सूचना)